

As regards the physical progress of works the infrastructure works such as construction of roads, colony building etc. have been substantially completed. The work of coffer dams, construction sluices, diversion channels etc. have been completed. Excavation of foundation in deep river channel and treatment for fault zone and foundation treatment are in progress. The work of construction of dykes for creation of four ponds for balancing reservoir, together with link channel are in progress. The work of excavation of main canals in the head reaches upto 21 k.m. is also in progress. The work of exploratory drift in experimental reach is under progress.

**Unauthorised Constructions with the Connivance of office in Chandni Chowk etc.**

1084. SHRI CHHANGUR RAM : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing on page 3 of the Nav Bharat Times dated 20 September, 1983 under the caption 'Adhikarion Ki Santhganth Se Gali-Gali Mein Avedh Nirman' (regarding unauthorised construction with the connivance of officers in Chandni Chowk, Katra Neel and other areas of Delhi);

(b) if so, the particulars of the officers who have a hand in these unauthorised constructions and the action being taken by Government against them; and

(c) the steps taken by Government to clear and check such unauthorised construction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) Yes, Sir.

(b) The Municipal Corporation of Delhi has denied that there has been any connivance by its officer in the unauthorised constructions referred to in the news item.

(c) Appropriate action under the DMC Act 1957 and as per policy of the Govt. is taken against the unauthorised construction wherever noticed. In addition, with a view to checking unauthorised constructions more effectively the Govt. has already introduced legislative measures in Parliament to declare unauthorised constructions a cognizable offence and also to tighten the law generally on the subject.

**दिल्ली की और अधिक कालोनियों के लिए जल-निकासी योजना**

1085. श्री राम प्यारे पनिका : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, दिल्ली की और अधिक कालोनियों के लिए जल-निकास की कोई और योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं और इनमें जल-निकासी का प्रबन्ध कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान अरिफ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

**वनस्पति में चर्बी का उपयोग**

1086. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री मनोहर लाल सेनो :

श्रीमती प्रमिला बंडवते :!

श्री रतन सिंह राजवाड़ा :

श्री भीम सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रविष्य में वनस्पति के निर्माण में चब के उपयोग को एकदम समाप्त करने के लिए कठोर उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय लागू निरोधक उपायों का व्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री(श्री भागवत भ्वा भ्राजाव): (क) से (ग) वनस्पति घी का उत्पादन केवल अनुमत वनस्पति तेलों से किया जाता है और इसके उत्पादन के लिए चर्बी के उपयोग की अनुमति कभी नहीं दी गई ।

वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय के फील्ड स्टाफ द्वारा वनस्पति घी के उत्पादन पर पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण रखा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हो । वनस्पति घी के उत्पादन में जिन कच्चे तेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वे हैं बिनाले का तेल, तिल्ली का तेल, सोयाबीन का तेल, चावल की भूसी का तेल, मक्का का तेल, तरबूज के बीज का तेल, सूरज-मुखी का तेल, महुआ का तेल, कुसुम के बीजों का तेल, रेपसीड तेल, (आयातित), ताड़ का तेल, पामोलीन, साल के बीज की वसा (10% अधिकतम) और तिल का तेल (5% न्यूनतम) । मुख्यालय के अधिकारी तथा फील्ड कर्मचारी कारखानों का अचानक निरीक्षण करते हैं और विश्लेषण करने के लिए नियमित रूप से नमूने लेते हैं, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता का सुनिश्चय किया जा सके । जनवरी से अक्टूबर, 1983 की

अवधि के दौरान, 746 निरीक्षण किये गये 3964 नमूने लिये और उनका विश्लेषण किया गया तथा अभी तक कोई भी नमूना पशु-चर्बी युक्त नहीं पाया गया है ।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अचानक छापे मारें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें ।

बसई दारापुर और अन्य कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्र स्थापित करना

1087. श्री मनीराम बागड़ी :  
श्री जगपाल सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने बसई दारापुर और लगभग 50 अन्य कालोनियों तथा मुहल्लों के निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद वहाँ पर दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र नहीं स्थापित किये गये हैं और दिल्ली दुग्ध योजना इसके बारे में मौन क्यों है ; और

(ख) नये दुग्ध केन्द्र स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं, और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने नए दुग्ध केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम परिसर, बसई दारापुर में स्थित डिपो नं० 1183-1184 इस गांव के निवासियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है । इसके